

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ीः
संख्या 634/10- स्था0/ स.ख.वि.अ./वार्षिक स्था0-2024-25/दिनांक 08 जुलाई, 2024

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित दुर्गम विकास खण्ड/ जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/ स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री सुभाष सैनी	विकास खण्ड नारसन जनपद हरिद्वार	विकास खण्ड पोखड़ा, जनपद पौड़ी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत
2	श्री हरीश चन्द्र सुयाल	विकास खण्ड थराली, जनपद चमोली	विकास खण्ड धौलादेवी, जनपद अल्मोड़ा	
3	श्री देवेन्द्र कुमार तेवाड़ी	विकास खण्ड गरुड़, जनपद बागेश्वर	विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा	
4	श्री शमीम अहमद	विकास खण्ड जसपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	विकास खण्ड भैसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा	
5	श्री भीम सिंह नेगी	विकास खण्ड कल्जीखाल, जनपद पौड़ी	विकास खण्ड धौलादेवी, जनपद अल्मोड़ा	

- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(सविन बंसल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

26/5

संख्या 634 / 10 -स्था0 / स.ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 3 सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी।
- 4 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6 उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
- 7 उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।


(राजेन्द्र सिंह रावत)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी:
संख्या 635 / 10-स्था0 / स.ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / दिनांक 08 जुलाई, 2024
:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद/विकास खण्ड	स्थानान्तरण हेतु संस्तुत विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
01	श्री हेम चन्द्र काण्डपाल	विकास खण्ड कनालीछीना, जनपद पिथौरागढ़	विकास खण्ड गदरपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17-(1)-(ख)-(एक) के अन्तर्गत।
02	श्री भूपेन्द्र सिंह मजगाई	विकास खण्ड डीडिहाट, जनपद पिथौरागढ़	विकास खण्ड कोटाबाग, जनपद नैनीताल	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17-(1)-(ख)-(एक) के अन्तर्गत।
03	श्री जशोधर प्रसाद डोभाल	विकास खण्ड यमकेश्वर, जनपद पौड़ी	विकास खण्ड नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17-(1)-(ख)-(पांच) के अन्तर्गत।
04	श्री राकेश बिष्ट	विकास खण्ड डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी	विकास खण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17-(1)-(ख)-(पांच) के अन्तर्गत।
05	श्री सतीश कुमार	विकास खण्ड पुरोला, जनपद उत्तरकाशी	विकास खण्ड कोट, जनपद पौड़ी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17-(1)-(ख)-(पांच) के अन्तर्गत।

- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को उक्तानुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के तहत किसी भी प्रकार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

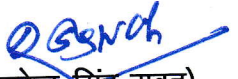
ह0/-
(सविन बंसल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 635 / 10 -स्था0 / स.ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / तददिनांकित
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

20/2

- 3 सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी ।
- 4 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय ।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 6 उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ।
- 7 उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ।


(राजेन्द्र सिंह रावत)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास ।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ीः
संख्या 636/10- स्था0/ स.ख.वि.अ./वार्षिक स्था0-2024-25/दिनांक 08 जुलाई, 2024

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित सुगम विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री चन्द्रशेखर जोशी	विकास खण्ड पोखड़ा, जनपद पौड़ी	विकास खण्ड जसपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(ग) दुर्गम स्थान से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत
2	श्री दलवीर सिंह असवाल	विकास खण्ड भिलंगना, जनपद टिहरी	विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी	
3	श्री अर्जुन सिंह रावत	विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी	विकास खण्ड जौनपुर, जनपद टिहरी	
4	श्री विलेश्वर पन्त	विकास खण्ड नन्दानगर, जनपद चमोली	विकास खण्ड खानपुर, जनपद हरिद्वार	
5	श्री दुर्गा राम आर्या	विकास खण्ड धारचूला, जनपद पिथौरागढ़	विकास खण्ड द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा	

- उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

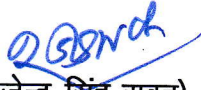
ह0-
(सविन बंसल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

29/7

संख्या 636 / 10 -स्था0 / स.ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 3 सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी।
- 4 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय।
- 5 सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6 उक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
- 7 उपरोक्त सम्बन्धित सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।


(राजेन्द्र सिंह रावत)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।